न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 145 / 2024

अनवान : –

1. धनपत राम पुत्र हर चन्द राम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. रामी देवी पत्नी हर चन्द राम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. गोमी पुत्री हर चन्द राम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. कमला पुत्री हर चन्द राम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. कृष्णा पुत्री हर चन्द राम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. सुमित्रा पुत्री हर चन्द राम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. माया देवी पुत्री हर चन्द राम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक:-04/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 615 / 584 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 1.5180 है0 भूमि व रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 776 / 777 के खसरा नं. 866 / 1 की कुल तादादी 2.7820 है0 भूमि व रोही मौजा 3 बी.के.के. तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 103 / 103 के कुल खसरे 9 की कुल तादादी 1.5180 है0 भूमि वादी के पिता मृतक हरचन्द पुत्र रामरख के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:12:01 IST
Reason: SelfAttested

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हरचन्द पुत्र रामरख के से दर्ज है जो कि वादी का पिता है हरचन्द पुत्र रामरख का देहान्त हो चुका है। हरचन्द पुत्र रामरख के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 6 है जो हरचन्द पुत्र रामरख के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादी की माता है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 ता 6 जो कि वादी की बहिने है उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों

के सामने अपने पुत्र/भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 1 ता 6 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग उपरोक्त तीनों खातो की भूमि में वादी अकेला काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र हरचन्द, शपथ पत्र बाबत सदस्य, उप सरपंच भूकरका द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल पत्रावली किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है वादी के पिता हरचन्द का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य [illegible] सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:12:01 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 615/584 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 1.5180 है0 भूमि व रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता

संख्या 776/777 के खसरा नं. 866/1 की कुल तादादी 2.7820 है0 भूमि व रोही मौजा 3 बी.के. के. तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 103/103 के कुल खसरे 9 की कुल तादादी 1.5180 है0 भूमि वादी के पिता मृतक हरचन्द पुत्र रामरख के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वादी के पिता हरचन्द पुत्र रामरख का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग दिया है। वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र, शपथ पत्र बाबत सदस्य एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा हरचन्द पुत्र रामरख के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 615/584 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 1.5180 है0 भूमि व रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 776/777 के खसरा नं. 866/1 की कुल तादादी 2.7820 है0 भूमि व रोही मौजा 3 बी.के.के. तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 103/103 के कुल खसरे 9 की कुल तादादी 1.5180 है0 भूमि वादी के पिता मृतक हरचन्द पुत्र रामरख के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में हरचन्द पुत्र रामरख का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 04/03/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:12:01 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 145/2024

अनवान : –

1. धनपत राम पुत्र हर चन्द राम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रामी देवी पत्नी हर चन्द राम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. गोमी पुत्री हर चन्द राम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. कमला पुत्री हर चन्द राम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. कृष्णा पुत्री हर चन्द राम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. सुमित्रा पुत्री हर चन्द राम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. माया देवी पुत्री हर चन्द राम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 853 सन 2023 निर्णय दिनांक – 04/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 615/584 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 1.5180 है0 भूमि व रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 776/777 के खसरा नं. 866/1 की कुल तादादी 2.7820 है0 भूमि व रोही मौजा 3 बी.के.के. तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 103/103 के कुल खसरे 9 की कुल तादादी 1.5180 है0 भूमि वादी के पिता मृतक हरचन्द पुत्र रामरख के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में हरचन्द पुत्र रामरख का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 4/3/24 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:12:01 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर